



राजस्थान राज्य

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2539.

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 24, बुधवार, साके 1907—अक्टूबर 16, 1985
Asvina 24, Wednesday, Saka 1907—October 16, 1985

भाग 1 (घ)

महत्वपूर्ण सरकारी आशय ।

राजस्थान पर्यावरण विभाग

प्रधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 5, 1985

संख्या एफ. 11 (1) पर्यावरण/85 :—यह राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित-
कृत का उसमें पाये जाने वाले वन जीवों के संरक्षण प्रचारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनाय उसके परिस्थिति प्राणी-
ततीय वनस्पति भू-संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान सम्बन्धी सहयोगिता और महत्व के कारण वन जीव सम्भारण के रूप में गठित करने
में आवश्यकता है ।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 (1) के अधीन
दत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को सम्भारण घोषित करने के
पने आशय की घोषणा करती है, जिसे भविष्य में "धान्य दारो" के नाम से जाना जावेगा, अर्थात्:—

अनुसूची

सं.	क्षेत्र	नाम सहस्रील	जिला	सीमाएं	वि. वि.
1.	वन्य जीव सम्भारण धान्य दारो	बाजना	भाहपुर	उत्तर वन खण्ड नहरोली खेरी डांग, सूखासीला एवं वंशी पहाड़पुर वन खंड सीमाएं । पूर्व वन खण्ड सूखासीला, वंशी पहाड़ दरवराहना कोट एवं बाजना की वन खण्ड सीमा । दक्षिण वन खण्ड बाजना की वन खण्ड सीमा । पश्चिम वन खण्ड नहरोली, शाहपुर, दरवराहना एवं बाजना की वन खण्ड सीमाएं ।	

नोट —

उक्त क्षेत्र में पूरा नाका दारो शामिल किया गया है इन सीमाओं
बीच पड़ने वाला राजस्व क्षेत्र सम्भारण में शामिल नहीं रहेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से;

एस. के. वर्मा,

उप शासन सचिव, पर्यावरण विभाग ।

राजस्थान सरकार
राजस्व पर्यावरण विभाग

क्रमांक एफ 1181 पर्यावरण/86

दिनांक 5 अक्टूबर 1985

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्र का उसमें पाये जाने वाले वन जीवों के संरक्षण प्रचारण एवं उनके विकसित पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थिति प्राणी जातीय वनस्पति भू-संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजना और महत्व के कारण वन जीव अभयारण के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 की धारा 18(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण घोषित करने के अपने आशय की घोषणा करती है, जिसे भविष्य में "बांध बारैठा" के नाम से जाना जावेगा, अर्थात्,

अनुसूचि

क्र. सं.	क्षेत्र	नाम तहसील	जिला	सीमाएँ	वि० वि०
1.	वन्य जीव अभयारण बांध बारैठा	बधाना	भरतपुर	उत्तर	वन उध नहरोलो धेरी डांग, सूखासीला एवं ब्रह्म पहाडपुर वनखण्ड सीमाएँ।
				पूर्व	वनखण्ड सूखासीला, पहाड दरवराहना कोट एवं वाजना की वनखण्ड सीमा।
				दक्षिण	वनखण्ड वाजना की वनखण्ड सीमा।
				पश्चिम	वनखण्ड नहरोलो शाहपुर, दरवराहना एवं वाजना की वनखण्ड सीमाये।

नोट:-

उक्त क्षेत्र में पूरा नाका बारैठा शामिल किया गया है इन सीमाओं के बीच पडने वाला राजस्व क्षेत्र अभयारण में शामिल

राज्यपाल की आज्ञा से,

(Signature)

एस० के० वर्मा
उप शासन सचिव
पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ ए' आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजस्थान, जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
2. मुख्य वन्य संरक्षक, राज. जयपुर ।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज. जयपुर ।
4. निदेशक, पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर अधिक पुलिस विभाग भरतपुर
5. जिलाधीश भरतपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 से 26 के अन्तर्गत कार्यवाही कर इस विभाग को अजिला मुख अर्कात करावे ।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सचिव आयुक्त राज. जयपुर ।
2. सचिव राज्यपाल राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त निजि सचिव मंत्रीगण राज्य मंत्रीगण ।
5. निजि सचिव मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव राजस्थान विधानसभा जयपुर ।
7. राजस्दर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर ।
8. समस्त सदस्य राजस्थान वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर ।
10. सचिव भारत सरकार पर्यावरण विभाग वन्य जीव सम्भाग कृषि भवन नई दिल्ली ।

उप शासन सचिव